



मध्य रेलवे

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय

सोलापुर मंडल

सं: सोला/एमएसीपी/ग्रुप 'सी'

दिनांक: 15.07.2019.

कार्यालय आदेश संख्या 288 /2019

विषय: कार्मिक विभाग के रेल कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित भविष्य उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन।

- संदर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का दि. 10.06.2009 का पत्र सं: पीसी/ V/2009/ एसीपी/2.
2. मुख्यालय का दि. 16.06.2009 का पत्र सं: एचपीबी/ VI/पीसी/आर/VIII
3. इस कार्यालय का दि. 06.07.2009 का पत्र सं: यू(पी)आर
4. रेलवे बोर्ड का दि. 19.12.2016 का पत्र सं: V/2016/ एमएसीपीएस/1
5. इस कार्यालय का दि. 15.07.2019.2019 का पत्र सं: SUR/P/CON/MACP/Admi.

निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाता है।

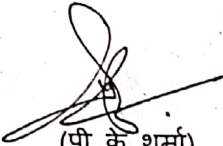
क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती, पीएफ नं, जाति	पदनाम, कार्यालय, स्टेशन	वर्तमान ग्रेड/ आरएस(आरपी) नियम 2016 में लेवल	इयू एम.ए.सी.पी की संख्या और तारीख	भविष्य में ग्रेड / आरएस(आरपी) नियम 2016 में
01	P.G.Waghmode (UR) 04009447	Steno (PS-II) Under Sr.DPO Office	Level-7 (GP. 4600/-)	3rd 10.05.2019	Level-8 (GP. 4800/-)

उपर्युक्त कर्मचारी को, जिन्हें उपर्युक्त के अनुसार वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाता है, आईआरईसी व्हाल्यूम - II (6 वें संस्करण) के नियम 1313 (1)(ए)(i) के अंतर्गत जारी कार्यालय आदेश की तारीख से वेतन निर्धारण के लिए एक माह के भीतर अपना विलक्प दे सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्च स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि वित्तीय और अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा वेतन देय से संबंधित जैसे कि एचबीए, सरकारी आवासों के आबंटन की अनुमति दी जाएगी।

यदि प्रशासन के यह निदर्शन में आता है कि कर्मचारी, एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ के लिए किसी कारणवश लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होने पर ऐसे कर्मचारी को दिया गया वित्तीय अपग्रेडेशन वापस लिया जाएगा।

कर्मचारी को एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन पूरी तरह से वैयक्तिक है और उसकी वरियता की स्थिति के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। यह कार्यालय आदेश इन शर्तों पर जारी किए जाते हैं कि उक्त कर्मचारी डीएआर, सतर्कता और एसपीई मामले आदि के अंतर्गत कोई भी प्रभावी शास्ति नहीं भुगत रहा है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(पी. के. शर्मा)

कृत मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/सोलापुर

C/- DPO(W) & Sr.DFM/SUR for information
C/- Ch.OS(P)SBWM, MPP, Con for information & N/A Please.
C/- O O, Cadre, and P/File.

cc.

